द्वारा फैक्स/ई-मेल

मुख्यालय राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश

सिग्नेचर बिल्डिंग, टावर-4, तृतीय तल गोमतीनगर विस्तार शहीदपथ लखनऊ।

पत्रांक-पीआर/15-11/2020 (3337) दिनांक:मई 27, 2020

1- पुलिस महानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज।
2- पुलिस उपमहानिरीक्षक रेलवे, लखनऊ/प्रयागराज।
3- समस्त पुलिस अधीक्षक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त क्षेत्राधिकारी रेलवे, उत्तर प्रदेश।

विषय: पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस में विशेष आख्या अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुए कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश

....

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-17/2020 दिनांक 23.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-49/2015 दिनांक 07.07.2015 के आलोक में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस रेगुलेशन के प्रस्तर 101 में इंगित कतिपय अपराधों में विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) मानकर वरिष्ठ अधिकारियों को अपराधों की सूचना तत्काल प्रेषित करते हुए कार्यवाही की अपेक्षा की गयी है।

किसी अपराध को विशेष आख्या अपराध (Special Report Case) की श्रेणी में रखने का उद्देश्य यह है कि इसकी विवेचना गहनता से किये जाने के साथ-साथ विवेचना का पर्यवेक्षण अधिक निकटता एवं गहराई से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा करते हुए विवेचक का सही मार्गदर्शन किया जाये, जिससे अभियोग का सही अनावरण हो सके तथा अपराधियों को दण्डित कराया जा सके।

राजकीय रेलवे पुलिस में रेल/ रेल यात्रियों के साथ व रेलवे स्टेशन, सरकुलेटिंग एरिया में कुछ विशेष प्रकार के अपराध घटित होते हैं, जिनमें गहन विवेचना, सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण (Follow up Action) की कार्यवाही अपेक्षित होती है। पूर्व में निर्गत उक्त परिपत्र में इंगित विशेष आख्या अपराधों सहित निम्नलिखित अपराधों को राजकीय रेलवे पुलिस से सम्बन्धित विवेचनाओं के उच्चस्तरीय एवं बेहतर पर्यवेक्षण के उद्देश्य से विशेष अपराध की श्रेणी में रखा जा रहा है:-

01- जहरखुरानी।
02- विदेशी यात्रियों से चोरी।
03- निम्न वर्णित अपराधों मे घटना की गम्भीरता, राज्य विरोधी सेबोटाज (विध्वंसकारी), किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित अर्न्तराज्यीय अपराध का होना पाये जाने पर ही एस0आर0 केस की श्रेणी में रखा जायेगा।

क- विस्फोटक पदार्थ/विस्फोट से संबंधित अपराध।
ख- अवैध शराब के विनिर्माण, विक्रय, बरामदगी से संबंधित अपराध।
ग- स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ की बरामदगी से संबंधित अपराध।
घ- अवैध असलहा एवं कारतूस की बरामदगी से संबंधित अपराध।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है कि समस्त विशेष आख्या अपराध की पत्रावलियों पर विवेचक को सही मार्गदर्शन प्रदान करते हुए एस0आर0 केस की विवेचना हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप यथोचित निर्देश दिये जायें तथा उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत पुलिस महानिदेशक के परिपत्र संख्या-17/2020 दिनांक 23.05.2020 में अंकित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न - यथोपरि

(संजय सिंघल)
अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे,
उ0प्र0 लखनऊ।

Scanned with CamScanner